बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–20/12/2017

संख्या–एसीस–01/नि०–48/2015......207......../भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कार्यरत बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी सेवा सम्वर्ग में डायनेमिक ए०सी०पी० वित्तीय उन्नयन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है.–

भाग–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। –

(1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए०सी०पी०) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ । – इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग;

(ii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(iii) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, बिहार राज्यपाल;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है, श्रम संसाधन विभाग, बिहार;

(v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, राज्यपाल, बिहार;

(vi) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार कर्मचारी, राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग।

(vii) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग के किसी पद पर नियुक्त एवं कार्यरत हो।

3. डायेनेमिक ए०सी०पी० । – (1) डायनेमिक ए०सी०पी० के संबंध में बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें, प्रक्रिया एवं प्रावधान, जहाँ तक इस नियमावली से असंगत न हो, इस संवर्ग के पदाधिकारियों पर भी लागू होंगे।

(2) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) को छः वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात्, पद के स्तर उन्नयन (Promotion in-situ) के साथ प्रथम वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा। द्वितीय एवं तृतीय उन्नयन पद के स्तर उन्नयन (Promotion in-situ) के साथ प्रथम वित्तीय उन्नयन के पश्चात् छः–छः वर्षों के सामान्य अन्तराल के पश्चात् अनुमान्य होगा।

(3) डायनेमिक ए०सी०पी० की सुविधा अधिकतम वेतनमान–पे बैन्ड IV (37400-67000) ग्रेड वेतन ₹8700 (अपुनरीक्षित) तक अनुमान्य होगी।

(4) अर्हताएँ – दो वर्षों की संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि की सेवा के उपरांत बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी बशर्ते कि सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अवधारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो।

(5) : विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :–

- विकास आयुक्त, बिहार सरकार — अध्यक्ष
- सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य
- सामान्य प्रशासन विभाग के मनोनीत अनु0जाति / ज0जाति के प्रतिनिधि— सदस्य
- प्रधान सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार — सदस्य सचिव
- निदेशक चिकित्सा सेवायें — सदस्य

(6) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर डायनेमिक ए०सी०पी० विचारणीय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित बातों पर विचारकर डायनेमिक ए०सी०पी० की अनुशंसा करेगी :–

(i) संतोषप्रद चारित्री अभियुक्तियाँ;

(ii) स्वच्छता प्रतिवेदन कम से कम आन्तरिक निगरानी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iii) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ अवधारित अन्य मानदण्ड।

(7) आरक्षण। – डायनेमिक ए०सी०पी० के लिए अलग से आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस माध्यम से स्वीकृत पदों के स्तर का हीं उन्नयन (In situ-Promotion) हो जाता है। डायनेमिक ए०सी०पी० के स्तर से ऊपर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा–निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

4. <u>डायनेमिक ए०सी०पी०</u>। – (1) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) सेवा संवर्ग का पद स्तर निम्नवत् होंगे :–

(i) बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) / विशेषज्ञ मूल पद — ग्रेड पे ₹ 5400 PB II ₹9300-34800

(ii) प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी / उपाधीक्षक / उपनिदेशक – ग्रेड पे ₹6600 PB III
₹ 15600-39100

(iii) अधीक्षक अस्पताल / क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी / – ग्रेड पे ₹7600 PBIII
प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी ₹ 15600-39100

(iv) निदेशक चिकित्सा सेवायें (निदेशालय) – ग्रेड पे ₹8700 PB IV
₹ 37400-67000

(2) वित्त विभाग द्वारा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त वेतनमान तदनुसार स्वतः संशोधित हो जाएँगे।

5. निरसन एवं व्यावृति – (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचनाएँ / संकल्प एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं एवं संकल्पों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/12/17
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– एसीस–01 / नि०–48 / 2015 207 / पटना–01, दिनांक– 20/12/2017

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/12/17
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– एसीस–01 / नि०–48 / 2015 207 / पटना–01, दिनांक– 20/12/2017

प्रतिलिपि– महालेखाकार बिहार, पटना / मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / श्रमायुक्त बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/12/17
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या– एसीस–01 / नि०–48 / 2015......208........... / अधिसूचना सं०...207.....दिनांक--20/12/20[illegible] का निम्नालिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

BIHAR GOVERNMENT
Labour Resources Department

Notification

Patna, Dated- 20/12/2017

No.-ESIS-01/NI.-48/2015.......207................/In exercise of the powers conferred by provision under Article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for giving Dynamic A.C.P. in The Bihar Employees State Insurance Allopathic Medical officers Service Cadre working under Employees State Insurance Scheme :-

PART -1

1. **Short title, extent and commencement** – (1) These Rules may be called the Bihar Employees State Allopathic Insurance Medical Officers (Dynamic ACP) Rules, 2017.
   (2) It shall extend to whole State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.

2. **Definitions**. – In these rules unless the context otherwise requires –
   (a) "Commission" means The Bihar Public Service Commission;
   (b) "Government" means the State Government of Bihar;
   (c) "Governor" means the Governor of Bihar;
   (d) "Department" means the Labour Resources Department, Bihar;
   (e) "Appointing authority" means Governor of Bihar;
   (f) "Cadre" means The Bihar Employees State Insurance Medical officers (Allopathic) Cadre under control of the Labour Resources Department, Bihar;
   (g) "Members of Cadre" means any person who is appointed and working in Bihar Employees State Insurance Medical officers (Allopathic) Cadre under control of the Labour Resources Department, Bihar under the provisions of these Rules.

3. **Dynamic A.C.P** – (1) Terms and conditions procedures provision for Bihar Health Services Cadre in respect of Dynamic A.C.P for this cadre, as far as not inconsistent with these Rules to the officers of this Cadre.

(2) After completion of six years of Services, with upgradation of post (Promotion in situ) 1st A.C.P is admissible to the Insurance Medical Officers (Allopathic). Second and third A.C.P with upgradation of post (Promotion in situ) will be admissible at the general interval of six years after first A.C.P

(3) The facility of Dynamic A.C.P will be admissible up to maximum Pay Scale-Pay band IV (37000-67000) Grade pay 8700 (Unrevised).

(4) **Qualifications.**- Services of Insurance Medical officers (Allopathic) will be confirmed after satisfactory completion of probation period of two years provided the members of the service have passed the Departmental Examinations determined by the state government and have get the treasury training.

(5) Structure of Departmental Promotion Committee will be as follows :-

(i) Development commissioner, Bihar Government – Chairman
(ii) Representative General administrative department – Member
(iii) SC/ST Representative nominated by General Administrative Department - Member
(iv) Principal Secretary/Secretary, Labour Resources Department – Member - Secretary
(v) Director Medical Services - Member

(6) On The basis of recommendation of Departmental Promotion committee the Dynamic A.C.P will be considerable. Departmental Promotion Committee will recommend the Dynamic A.C.P after considering the following facts :-

(a) Satisfactory character roll;
(b) Clearance Report from at least internal vigilance will be compulsory;
(c) Other criteria on determined for this purpose, from time to time, by the state government General Administrative Department;

(7) **Reservation.** - No separate reservation is required for Dynamic A.C.P because by this means the level of sanctioned post is itself up graded (in situ promotion). It will be compulsory to follow the reservation roster as determined by The state government, from time to time for the promotion to need based posts above from the level of Dynamic A.C.P.

4. **Dynamic A.C.P.** - (a) Levels of posts of The Insurance Medical officers (Allopathic) cadre shall be as follows :-

(i) Insurance Medical officer (Allopathic)/Specialist basic post – Grade pay Rs. 5400/-, PB II Rs. 9300-34800
(ii) Insurance Medical officer In charge/Dy Superintendent/Dy Director – Grade pay Rs. 6600/- , PB III Rs. 15600-39100
(iii) Hospital Superintendent/Regional Administrative Medical officer/ Insurance Medical officer in charge – Grade Pay Rs. 7600/-, PB III Rs. 15600-39100
(iv) Director Medical services ESI – Grade pay Rs. 8700/-, PB IV Rs. 37400-67000

(b) Accordingly the said pay above scale will be Automatically revised resulting from the revision of pay by finance department.

5. <u>Repeal and Saving</u>. –(1) Previous Notifications/Resolutions issued before the date of come into force of these Rules by the department are hereby repealed.

(2) Not withstanding such repeal any thing done or any action taken under the said notifications and regulations shall be deemed to be done or to be taken under these Rules as if these Rules were enforced on the date on which such thing was done or such action was taken.

By Order of the Governer

19/12/17

(Dipak Kumar Singh)
Principal Secretary to the Government

Memo -ESIS-01/NI.-48/2015.......207................/Patna-1, dated. 20/12/2017

Copy forwarded to – Superintendent, Government press, Gulzarbag, Patna for publishing this in next extra ordinary Bihar gazette.

19/12/17

(Dipak Kumar Singh)
Principal Secretary to the Government

Memo -ESIS-01/NI.-48/2015.......207................/Patna-1, dated. 20/12/2017

Copy forwarded to – Accountant General, Bihar, Patna/PS to Hon'ble Minister, Labour Resources Department, Bihar, Patna /PPS to Principal Secretory, Labour Resources Department, Bihar, Patna/Director, medical Services, ESI, Bihar, Patna/Director, Emploment and Training, Bihar, Patna/ Labour commissioner, Bihar, Patna for Information and necessary action.

19/12/17

(Dipak Kumar Singh)
Principal Secretary to the Government